

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.17(1)नविदि/अभियान/2021

जयपुर, दिनांक:-31.03.2023

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की अवधि 31.03.2023 से 30.09.2023 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

समस्त छूट/शिथिलताएं/दरें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन पूर्वानुसार यथावत रहेगा।

अभियान के दौरान विभागीय आदेश दिनांक 01.07.2022 के अनुरूप शिविरों का आयोजन दिनांक 01.04.2023 से किया जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 102300974 दिनांक 31.03.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।



(डॉ. जोगाराम)  
शासन सचिव

स्वायत्त शासन विभाग


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
13. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिशापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
16. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

राज्यपाल की आज्ञा से



(कुंजी लाल मोट्टो)  
प्रमुख शासन सचिव  
नगरीय विकास विभाग

  
प्रमुख शासन सचिव, नविदि